न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

ील संख्या : 17/31

1. रेन्जर क्षेत्रीय वन अधिकारी, तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
2. जिला वन अधिकारी, बून्दी जिला बून्दी ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. बृजमोहन आत्मज चन्दा जाति दरोगा आयु 40 वर्ष निवासी कौरमा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
2. लाल आत्मज चन्दा जाति दरोगा आयु 50 वर्ष निवासी कोरमा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री रामबाबू मालव, राजकीय अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 28.09.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.06.2015 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट क्रम 1 एवं 2 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 188 एवं 92 (क) के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम कोरमा तहसील नैनवा जिला बून्दी में खाता संख्या नया 248 की आराजी खसरा नम्बर 1404 रकबा 10 बीघा तथा खाता संख्या नया 265 की खसरा नम्बर 1404/4 रकबा 03 बीघा भूमि स्थित है । उक्त भूमि वादीगण के खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है जिस पर वादीगण ने उठने–बैठने के लिए खेलू फोस घर (टापरी) बना रखा है । प्रतिवादीगण दिनांक 12.03.2005 को ताकत के बल पर जबरदस्ती वादपत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि पर वृक्षारोपण करने के लिए मजदूरों से गढढे खुदवाने को आमादा हो गये तथा भूमि को नष्ट–भ्रष्ट करने को तैयार हो गये । वादीगण को अधिकार प्राप्त है कि वह प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करावे ।

3. अतः वादी के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह वादपत्र के चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि पर गडढे नहीं खोदे, भूमि को नष्ट, भ्रष्ट नहीं करे न ही भूमि पर बने टापरी को नष्ट–भ्रष्ट करे और न ही वादीगण को उक्त भूमि से बेदखल करे । यदि दौराने वाद प्रतिवादीगण ने वादी को उक्त भूमि से बेदखल कर दिया तो वापस उसे कब्जा दिलाया जावे।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.06.2015 के द्वारा वादी का वाद स्वीकार करते हुए दावा वादी डिक्री कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.06.2015 से व्यथित होकर प्रतिवादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील अपीलान्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 19.05.2015 से पत्रावली में आगामी तारीख पेशी 17.08.2015 नियत की गई थी लेकिन अधीनस्थ न्यायालय में मनमाने तरीके से उक्त पत्रावली को 17.08.2015 से पूर्व दिनांक 04.06.2015 को लोक अदालत शिविर खानपुरा में ले जाकर बहस सुनकर दिनांक 16.06.2015 को निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को किसी प्रकार की कोई सूचना या नोटिस नहीं दिया । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.06.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपीलान्ट ने अपील मीमो के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्टगण को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री की कोई जानकारी प्राप्त नहीं थी । उक्त निर्णय एवं डिक्री की जानकारी प्राप्त होते ही नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गईं । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आने से अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि कि वादग्रस्त आराजी पर रेस्पोडेन्ट वादीगण का कब्जा नहीं है । आराजी रक्षित वन विभाग के खाते की भूमि है जिसमें वन विभाग के द्वारा वृक्षारोपण का कार्य किया जाता है । वादीगण रेस्पोडेन्ट के खिलाफ धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम की सहायक वन संरक्षक बून्दी के यहॉ कार्यवाही चल रही है । वादीगण रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में अतिक्रमी की हैसियत से वाद पेश किया है, दावा मेन्टेनेबल नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में निर्णित किया है । लोक अदालत में सीपीसी की पालना किये बिना ही उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.06.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण दर्शित किये हैं वह उचित प्रतीत होते हैं । अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 न्यायहित में स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

10. अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण ने वादग्रस्त आराजी के बाबत् अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का दावा पेश किया है । पत्रावली में नकल जमाबन्दी संवत् 2054 से 2075 प्रदर्श– ए–1 संलग्न है जिसके अनुसार खसरा नम्बर 1404 मि रकबा 10 बीघा भूमि वादी रेस्पोडेन्ट बृजमोहन के गैर खातेदारी में दर्ज है और खसरा नम्बर 1404/4 की 03 बीघा भूमि लाल के नाम गैर खातेदारी में दर्ज है ।

11. अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट ने जवाबदावा पेश किया है जिसमें यह कथन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 1404 की रकबा 35 बीघा 03 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 1404 मिन रकबा 54 बीघा 07 बिस्वा में से रक्षित वन विभाजन के खाते की भूमि है जिसमें वादी वन विभाग की ओर से वृक्षारोपण का कार्य करते हैं । वादी रेस्पोडेन्ट के खिलाफ अन्तर्गत धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही की जा रही है, अतः दावा वादी खारिज किया जावे ।

12. अपीलान्ट प्रतिवादी ने अधीनस्थ न्यायालय में नकल जमाबन्दी संवत् 2062 से 2065 पेश की है जिसके अनुसार खसरा नम्बर 1404 रकबा 54 बीघा 07 बिस्वा तथा खसरा नम्बर 1794/1404 रकबा 35 बीघा 03 बिस्वा भूमि महकमा जंगलात के खाते में दर्ज है । इसके अलावा नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति एवं नकल जमाबन्दी संवत् 2062 से 2065 नया खाता संख्या 338 की प्रमाणित प्रति भी पत्रावली में संलग्न है ।

13. अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली साक्ष्य प्रतिवादी में लम्बित थी और इसे लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में उभय पक्ष द्वारा कोई विधिक राजीनामा पेश नहीं किया गया फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने उसी दिन गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किया है जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अपीलान्ट प्रतिवादी के द्वारा कुछ राजस्व रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रतियॉ पेश की हैं जिसमें खसरा नम्बर 1404 की रकबा 54 बीघा 07 बिस्वा तथा खसरा नम्बर 1794/1404 रकबा 35 बीघा 03 बिस्वा भूमि महकमा जंगलात के खाते में दर्ज है । हम इस प्रकरण में गुणावगुण के आधार पर उचित एवं विधि सम्मत निर्णय पारित किये जाने से पूर्व प्रतिवादी अपीलान्ट को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जाना न्यायहित में आवश्यक समझते हैं ।

14. यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि लोक अदालत में केवल ऐसे प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें उभय पक्षकारान उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश करें इसके अभाव में सीपीसी की पालना करते हुए पक्षकारान की साक्ष्य ली जाकर गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाना चाहिए । इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी अपीलान्ट की साक्ष्य लिये बिना ही

निर्णय पारित करने में विधिक त्रुटि की है । अपीलान्ट की साक्ष्य बन्द भी नहीं की गई है । इस कारण हम प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं ।

15. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.06.2015 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह प्रतिवादी अपीलान्ट को साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए नये सिरे से गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 12.11.2018 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

16. निर्णय आज दिनांक 28.09.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

28.9.18

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा